इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी 2013—फाल्गुन 1, शक 1934

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(उच्च शिक्षा कोष का गठन)

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. एफ-23-6-2012-अड़तीस-2.—राज्य शासन द्वारा उच्च शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इन नियमों का उद्देश्य है.

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(क) ये नियम उच्च शिक्षा कोष (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2012 कहलायेंगे.

(ख) ये नियम मध्यप्रदेश ''राजपत्र'' में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे.

2. **परिभाषा.**—इन नियमों में जब तक की संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत ना हो,—

(i) कोष—कोष से तात्पर्य ''उच्च शिक्षा कोष'' से होगा.

(ii) समिति—समिति से तात्पर्य उच्च शिक्षा कोष के संचालन हेतु नियम 4 एवं 5 में गठित समिति से होगा.

(iii) परिवार—परिवार से अर्थ लक्षित विद्यार्थी के माता-पिता, भाई एवं अविवाहित बहिन से होगा. इनके न होने की दशा में विधिक पालक व उसके परिवार को भी परिवार माना जायेगा.

(iv) लक्षित विद्यार्थी—लक्षित विद्यार्थी से तात्पर्य उस विद्यार्थी से होगा जिसे आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाना है.

3. **प्रयोजन.**—ये नियम निम्नलिखित के लिये लागू होंगे:—(i) परिवार की आजीविका संचालित करने वाले मुखिया का अकस्मात निधन हो जाना, गंभीर बीमारी से पीड़ित होना या गंभीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आश्रित लक्षित विद्यार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना.

(ii) परिवार का आय साधन नष्ट हो जाने पर आश्रित लक्षित विद्यार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना.

4. **शासी निकाय.**—'उच्च शिक्षा कोष' का शासी निकाय निम्नानुसार होगा :—

अध्यक्ष	—	मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष	—	मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग
सदस्य सचिव	—	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
सदस्य	—	सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
सदस्य	—	सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
सदस्य	—	सचिव, आयुष विभाग
सदस्य	—	सचिव, कृषि विभाग
सदस्य	—	सचिव, वित्त विभाग

शासी निकाय के कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(i) कोष के संचालन से संबंधित नीति निर्धारण.

(ii) इन नियमों में संशोधन.

(iii) वार्षिक लेखा प्रतिवेदन का अनुमोदन.

(iv) वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन का अनुमोदन.

(v) उच्च शिक्षा कोष के संचालन की समीक्षा.

शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

5. **प्रबंधन समिति.**—'उच्च शिक्षा कोष' के प्रबंधन हेतु प्रबंधन समिति निम्नानुसार होगी :—

अध्यक्ष	—	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
सदस्य सचिव	—	आयुक्त, उच्च शिक्षा
सदस्य	—	संचालक, संस्थागत वित्त
सदस्य	—	संचालक, तकनीकी शिक्षा
सदस्य	—	संचालक, चिकित्सा शिक्षा
सदस्य	—	आयुक्त/ संचालक, आयुष
सदस्य	—	आयुक्त/ संचालक, कृषि
सदस्य	—	संचालक, पशुपालन
सदस्य	—	संचालक, संस्कृति
सदस्य	—	आयुक्त, जनसम्पर्क

प्रबंधन समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(i) उच्च शिक्षा कोष का क्रियान्वयन.

(ii) कोष के संचालन की समीक्षा/अनुवीक्षण.

(iii) कोष से राशि का बंटन तथा स्वीकृति.

(iv) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर शासी निकाय को प्रस्तुत करना.

(v) कोष के संचालन हेतु क्रिया प्रस्तावित कर शासी निकाय को प्रस्तुत करना.

(vi) आर्थिक सहायता के प्रकरण स्वीकृत करना.

प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी.

6. **कोष का गठन.**—कोष की व्यवस्था निम्न स्त्रोतों से की जावेगी :—

(i) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अंशदान.

(ii) समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा शासकीय विश्वविद्यालयों (समस्त विभागों के) में प्रवेशित स्नातक विद्यार्थियों के शुल्क की एक प्रतिशत राशि.

(iii) निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को प्राप्त 01 प्रतिशत फीस का 25-50 प्रतिशत तक.

(iv) सांसदों और विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त राशि.

(v) गणमान्य नागरिकों से प्राप्त सहायता.

7. **कोष से व्यय.**—(i) कोष में राज्य शासन द्वारा दिये गये अंशदान एवं अन्य स्त्रोतों से प्रदत्त राशि को सुरक्षित रखते हुए इस पर अर्जित ब्याज राशि से ही आर्थिक सहायता देय होगी.

(ii) ब्याज की राशि का 01 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक व्यय नहीं किया जायेगा.

8. **पात्रता.**—(i) मध्यप्रदेश के परिवार जिनकी वार्षिक आय रुपये 4.50 लाख से अधिक नहीं हो, के पुत्र-पुत्रियों जो मध्यप्रदेश के किसी महाविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय में नियमित प्रवेश लेकर स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, आर्थिक सहायता हेतु पात्र होंगे.

(ii) विद्यार्थी के गतवर्ष की 12वीं या उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेशित कक्षा की अर्हताकारी अंतिम परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक होने पर पूर्ण शिक्षा शुल्क एवं निर्वहन राशि 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष देय होगी, किन्तु यह राशि प्रतिवर्ष रुपये 1.00 लाख से अधिक नहीं होगी.

(iii) शिक्षण शुल्क में शुल्क मुक्ति एक स्नातक पाठ्यक्रम के लिये दी जायेगी जो 5 वर्ष से अधिक का नहीं होगा. विद्यार्थी को आगामी शुल्क मुक्ति की पात्रता हेतु निरंतर नियमित अध्ययनरत एवं विगत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा.

(iv) विद्यार्थी यदि किसी अन्य केन्द्रीय योजना/ राज्य योजना का लाभ प्राप्त करता है तो उसे इस योजना के लिये केवल इस सीमा तक सहायता देय होगी जो उपरोक्त कंडिका (ii) के अनुसार देय राशि व अन्य योजना से प्राप्त राशि के अन्तर के बराबर हो.

(v) वर्ष हेतु उपलब्ध राशि के अनुपात में अधिक आवेदन आने पर मेरिट से चयन किया जावेगा.

9. **कोष का संचालन.**—उच्च शिक्षा सहायता कोष के लिए प्राप्त राशि राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलकर रखी जायेगी. जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज कोष के खाते में ही जमा होगा तथा प्रबंधन समिति को प्रयोजन के रूप में मिलने वाली राशियां इसी खाते में जमा कर व्यय की जायेगी. खाते का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा.

10. **आवेदन.**—आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आन लाईन प्राप्त किये जायेंगे. संबंधित सभी विभाग अपने विभाग के आवेदन प्राप्त कर परीक्षण करेंगे. पात्रता निर्धारण के पश्चात् नोडल विभाग को सूचीबद्ध कर प्रस्तुत करेंगे. इस हेतु नोडल विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.